प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011

फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498 ई–मेल : vyapam@mp.nic.in

वेबसाईट www.vyapam.nic.in तथा www.peb.mp.gov.in

gkexkM e[;ky;] xg ¼iqfyl½ foHkkx] e/;in'k 'kklu d vrxr IykVu dekMj dh Hkrh ijh{kk&2016

ijh{kk lpkyu ,o Hkrh fu;e

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि			20.09.2016
ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि			19.10.2016
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि			20.09.2016
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि			24.10.2016
परीक्षा दिनांक व दिन			26.11.2016 (शनिवार) एवं 27.11.2016 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	सीधी भर्ती के पदो हेतु	अनारक्षित के लिए	रु. 500/–
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए (म0प्र0 के मूल निवासियो के लिये)	रु. 250/–
कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क रू. 70/– देय होगा। कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र न भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु पोर्टल शुल्क रू. 40/– देय होगा।			

vkuykbu ijh{kk i)fr le; lkj.kh

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
26.11.2016 (शनिवार) एवं 27.11.2016 (रविवार)	fgUnh ,o vxth e n{krk ,o lkekU; Kku			
	प्रथम	प्रातः 07:30 बजे	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 12:00 बजे तक (3:00 घंटे)
	द्वितीय	अपरान्ह 12:30 बजे	01:50 से 02:00 बजे तक (10 मिनट)	सायं 02:00 से 05:00 बजे तक (3:00 घंटे)

VIi.kh %&

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय के 30 मिनिट पश्चात तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यथियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
2. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटनर आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
3- vkuykbu vkonu&i= Øekd d }kjk gh vkuykbu ¼fyf[kr½ ijh{kk gr vH;Fkh viuk io'k&i= ikIr dj ldr gA vr% vkonu&i= Øekd vko';d :i l lHkky dj j[k] ftldh leLr@ftEenkjh vkond dh gh gkxhA
4- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु पी.ई.बी की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है
5. पी.ई.बी. द्वारा आयाजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी ernkrk igpku i=] iudkM] vk/kkj dkM] Mk;fox yk;lal] vdlph e; QkVkxkQ] cd iklcd e; QkVkxkQ rFkk iklikV e l dkb ,d vFkok vU; dk p;fur dj ldrk gA b vk/kkj ekU; ugh gA
6- मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

gkexkMZ eq[;ky;] xg ¼iqfyl½ foHkkx] e/;izns'k 'kklu ds varxZr IykVwu dekaMj dh HkrhZ ijh{kk&2016

fo"k; lwph

l-Ø-	v/;k;	fooj.k	i"B Ø-
1.	01	होमगार्ड मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत प्लाटून कमांडर की भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2015 के लिए विभागीय नियम	03–12
2.	02	मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल संचालन नियम एवं निर्देश	13–24
3.	03	विस्तृत पाठ्यक्रम	25–26
4.	04	आवश्यक प्रमाण–पत्रों के प्रारूप	27–30
5.	ik:i&1	प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन पत्रक	31
6.	ik:i&2	आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन पत्रक	32
7.	ik:i&3	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी पत्रक	33
8.	ik:i&4	यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक	34

v/;k; & 1

होमगार्ड मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत प्लाटून कमांडर की भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2016 के लिए विभागीय नियम

1.1 सामान्य :–

होमगार्ड मुख्यालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर तथा मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पत्र क्रमांक एफ–2 (अ) 16/13/बी 4/दो, दिनांक 14.03.2013 के अनुसार होमगार्ड विभाग में प्लाटून कमांडर तृतीय चरण के रिक्त पदों की भर्ती हेतु उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

1.2 परिभाषायें :–

(अ) इन निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य चार श्रेणियों अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा।

(ब)''समिति'' से अभिप्रेत है – राज्य शासन द्वारा गठित की गई चयन समिति।

(स)''प्रथम चरण'' से अभिप्रेत है – प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा।

(द)''द्वितीय चरण'' से अभिप्रेत है –होमगार्ड विभाग द्वारा आयोजित शारीरिक नापतौल, शारीरिक दक्षता परीक्षण के पश्चात् साक्षात्कार।

(ई)''मण्डल'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल से है।

(फ) म.प्र. से तात्पर्य मध्यप्रदेश है।

1.3 रिक्त पदों की तालिका :–

स.क्रं.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित	18	09	02	00	**29**
2.	अनुसूचित जाति ;	04	02	01	00	**07**
3.	अनुसूचित जनजाति	05	02	01	00	**08**
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	03	02	01	00	**06**
	योग :–	**30**	**15**	**05**	**00**	**50**

नोट–(1) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक– सी–3–2–97–3– एक दिनांक 7 फरवरी 97 के द्वारा महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण 'हारीजोन्टल एवं कम्पार्टमेन्ट वाईज' निर्धारित किया गया है । 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। ये दोनो ही हारीजोन्टल आरक्षण है। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिये आरक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगें । ऐसी स्थिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों से भरे जावेंगे यदि चयन सूची में पहले से ही 30 प्रतिशत महिलायें, 10 प्रतिशत भूर्तपूर्व सैनिक मैरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो पृथक से आरक्षण और नहीं दिया जायेगा।

यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि सामाजिक वर्ग पर आधारित आरक्षण अर्थात अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण 'वर्टिकल' स्वरुप का है। जबकि महिलाओं, तथा भूत पूर्व सैनिको के लिये आरक्षण ''हारीजोन्टल एवं कम्पाटमेंट वाईज'' स्वरुप का है । इन दो आरक्षणो में अन्तर मान्. उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्द्रा साहनी विरूद्ध भारत संघ (1992 **supp**¼3½ **scc**&217) में स्पष्ट किया गया है । हारीजोन्टल एवं कम्पाटमेंट वाईज आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया जो मान्. उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिल कुमार गुप्ता विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में निर्धारित की गई है {संदर्भ '' **1995 (2) supp{ scr–. 396 1995(5) scc–-173**} का अनुसरण किया जाता है ।

प्लाटून कमांडर के पदों पर आरक्षण नियमों के अनुसार योग्य महिला उम्मीदवार न मिलने पर पद केरी फारवर्ड नहीं होगा बल्कि उसी जाति के योग्य पुरूष से भरा जायेगा ।

(2) शासन द्वारा आरक्षण के संबंध में समय समय पर जारी आदेशों के तहत पद सुरक्षित होंगे। अंतिम चयन के समय में वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुये इस संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती हैं।

1.4 पदों का वेतनमान :–

प्लाटून कमांडर– रू. 5200–20200/– , ग्रेड वेतन – 2800/–

म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–9/3/2003/नियम–4/ दिनांक 13.4.2005 एवं क्रं एफ–9/डी/2003 नियम–4 दिनांक 2.7.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गई हैं।

1.5 परीक्षा केन्द्र :– परीक्षा केन्द्रों का विवरण अध्याय–2 में देखें।

1.6. निर्धारित आयु सीमा :–

अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना भर्ती के आगामी वर्ष की 01 जनवरी 2017 को 21 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक तथा म.प्र. के बाहर के आवेदकों के लिये आयु 21 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

1.6.1 **उच्चतर आयु सीमा में छूट :–**

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र0 सी–3–11/12/1/3/दिनांक 03–11–2012 एंव ज्ञाप क्र0 सी–3–11/12/1/3/एक, दिनांक 20–11–2012 एव पत्र क्र./सी.3–11/2012/3 भोपाल दिनांक 13 जनवरी 2016 द्वारा राज्य शासन के अनुसार निम्न संवर्गो के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की आयसीमा की गणना निम्नानसार है :–

1.6.2 निम्न संवर्गो के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है :–

सक्र0	आवेदक एवं श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा	म.प्र. के बाहर के आवेदकों के लिये आयु सीमा (वर्ष में)
1	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष	35 वर्ष
2	पुरुष आवेदक (शासकीय /निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष	35 वर्ष
3	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग–अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष	35 वर्ष
4	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग–शासकीय /निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष	35 वर्ष
5	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष	35 वर्ष
6	महिला आवेदक (शासकीय /निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा/परित्यक्ता /तलाकशुदा)	45 वर्ष	35 वर्ष
7	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग–अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष	35 वर्ष
8	म0प्र0 के भूतपूर्व सैनिक आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	43 वर्ष	–
9	म0प्र0 के भूतपूर्व सैनिक आवेदक (आरक्षित वर्ग–अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष	–

1.6.3 प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूटे :–

1.6.4 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र0 सी–3–40–आ–84–(3)1 दिनांक 11–01–1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

1.6.5 आदिम जाति हरिजन एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरुष्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र0 सी–3–10–85–3–1 दिनांक 29–06–1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जावेगी।

1.6.6 विक्रम पुरुष्कृत से सम्मानित खिलाडियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र0 सी–3–18–85–3–1– दिनांक 03–09–1985 के संदर्भ में अधिकतक आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

1.6.7 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :–

क ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी। बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरुप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

ख ऐसे उम्मीदवार को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरुप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :– शब्द छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी ईकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरंतर रहा हो, तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया था।

ग ऐसे उम्मीदवार को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरुप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :–

1.6.8 शब्द ''भूतपूर्व सैनिक '' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के आधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरंतर सेवा करता रहा हो, तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिये अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व मित्यियिता यूनिट (ईकाई) की सिफारिशों के फलस्वरुप अधिक या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रुप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति – रियायतों (मसटरिंग आउट कन्सेशन) के आधीन सेवा मुक्त किया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
(क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
(ख) भर्ती संबंधी शर्ते पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचार

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबंध पूरा होने पर सेवा मुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है।

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो,

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हो,

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेगें।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

टीपः—

1.6.9

(1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हा वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद चयन के लिये उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग पत्र दे दें तो वे नियुक्ति के पात्र नही होगें। तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेगें। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नही दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिये उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(2) यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरुप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुये किसी भी स्थिति में किसी भी पद के लिए अधिकतम आयु—सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

1.6.10 किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी। उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को तदाशय का निर्धारित प्रारुप में प्रमाण—पत्र सत्यापन के समय पेश करना होगा। जाति प्रमाण पत्र के नमूने इस नियम पुस्तिका के अध्याय—4 में दर्शाए गए हैं।

1.6.11 बच्चे संबंधी :—

कोई उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक संतान हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। किन्तु वह निरर्हित नही होगा यदि एक सन्तान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक सन्तानों का जन्म होता है।

1.6.2 निरर्हता

कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किन्ही भी परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता, साक्षात्कार अथवा नियुक्ति के लिए निरर्ह हो जायेगाः—

(एक) यदि उसने प्रतिरूपण किया है या किसी अन्य से प्रतिरूपण कराया है, परीक्षा के लिये निर्रह घोषित कर दिया जावेगा।

(दो) कोई ऐसा पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियॉ हों, इसी प्रकार महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह कर लिया हो जिसकी एक जीवित पत्नी हो, निरर्ह होगे।

(तीन) कोई पुरूष अभ्यर्थी जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह कर लिया हो, तथा महिला अभ्यर्थी 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पूर्व विवाह कर लिया हो निरर्हित होगा/होगी।

(चार) कोई अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, निरर्हित होगा किन्तु वह निरर्हित नही होगा यदि एक सन्तान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक सन्तानों का जन्म होता है।

(पॉच) कोई अभ्यर्थी, जिसे न्यायालय द्वारा सिद्वदोष ठहराया गया है या महिलाओं के विरूद्व किसी अपराध के लिए सिद्वदोष ठहराया गया है, किसी सेवा या पद के लिए अर्हित नही होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थी के मामले में, जिसके विरूद्व मामला न्यायालय में लम्बित है, उसकी नियुक्ति का विनिश्च अपराधिक मामले में अन्तिम निर्णय तक लम्बित रखा जावेगा।

(छः) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपने अभ्यर्थिता के लिए किन्ही भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निरर्हता माना जा सकेगा।

(सात) यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक या मानसिक रूप से अनुपयुक्त है, तो वे नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

(आठ) यदि कोई अभ्यर्थी चयन के पूर्व प्रस्तुत आवेदन में वास्तविक जानकारी छिपाता है या झूठी जानकारी देता है या उसके किसी भाग को खाली छोड़ता है, या चयन के उपरान्त विभाग द्वारा अभ्यर्थी से भरवाये जाने वाले अनुप्रमाणन प्रारूप मे, उसकी जन्मतिथि, शैक्षणिक अर्हता, जाति, या जाति प्रमाण पत्र, नगर सैनिक के रूप में की गई सेवावधि से सम्बन्धित भरे गये ब्यौरे या

उच्चतर आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के लिए स्वयंसेवी नगर सैनिक या नॉन कमीशन अधिकारियों के रूप में नगर सेना में की गई सेवावधि या सेवा अवधि के प्रमाण पत्र ब्यौरे या भूतपूर्व सैनिक की दशा में उच्चतर आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के लिए सशस्त्र बलों में की गई सेवा अवधि या सेवा अवधि के प्रमाण पत्र में या परिवार नियोजन के अधीन शल्य चिकित्सा या ग्रीन कार्ड प्रमाण पत्र, अन्तर्जातिय विवाह प्रोत्साहन योजना से सम्बन्धिन पुरस्कार या उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए उसका प्रमाण पत्र, विक्रम अवार्ड या उसके प्रमाण पत्र में बच्चों की संख्या या जन्मतिथि के बारे में कोई वास्तविक जानकारी छिपाता है या चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर कोई कूटरचित या बदला हुआ दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा तथा वह नियुक्ति के लिए निरर्हित घोषित कर दिया जावेगा।

(नौ) यदि कोई अभ्यर्थी अनुप्रमाण प्रारूप में कोई वास्तविक जानकारी छिपाता है या गलत विवरण लिखता है या उसके कालम 12 को या उसके किसी भाग को, जो विभाग द्वारा अभ्यर्थी से चयन के पश्चात प्राप्त किया जाता है, रिक्त छोड़ता है, तो मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्वान्त इस पैरामीटर (प्राचल) पर पात्रता को अन्तिम रूप से अवधारित करेंगे तथा अभ्यर्थी निर्हित होगा।

1.7 न्यूनतम शारीरिक अर्हता :–

अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें अवश्य होनी चाहिए :–

1.7.1 उँचाई : पुरूष – 167.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक

महिला – 152.4 सेंटीमीटर या उससे अधिक

1.7.2 सीना : पुरुष – सीना बिना फुलाये 81 सेंटीमीटर/फुलाने पर 86 सेंटीमीटर (अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंमी का अन्तर होना आवश्यक हैं इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।)

1.7.3 अभ्यर्थी को शारीरिक रुप से अपंग नहीं होना चाहिये।

1.7.4 अभ्यर्थी में 'नॉक–नी' अथवा 'फ्लेट फुट' एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिये । अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टि से पूर्णतः योग्य (मेडिकली फिट) होना आवश्यक हैं।

नोटः– न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें। न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि निर्धारित नापजोख पूर्ण नहीं करने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी।

1.8 न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :–

स.क्र.	पदनाम	पद का प्रकार	शैक्षणिक अर्हताऍं
01	प्लाटून कमांडर	अतकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य

1.8.1 शैक्षणिक योग्यता में छूट :–

शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जावेगी, किन्तु अपवादित मामले में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिये पात्र समझती हो। समिति अपने विवेकानुसार ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा चयन में सम्मिलित कर सकेगी जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधियाँ प्राप्त की हों जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रुप से मान्यता प्राप्त न हो।

1.8.2 अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य हैं।

1.8.3 निर्धारित समस्त अर्हताएं आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक उम्मीदवार के पास अवश्य होनी चाहिये, अर्थात यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष स्नातक की परीक्षा में बैठा है और उसके पास स्नातक परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह परीक्षा में बैठने के लिये पात्र नहीं है।

1.9 परीक्षा की योजना :–

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसके साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाने होंगे। ऑनलाईन आवेदन–पत्रों की स्क्रुटनी संबंधी आवश्यक निर्देश अध्याय–2 में दिए गए हैं, जिसके अनुसार लिखित परीक्षा हेतु अंतरिम प्रवेश पत्र पी.ई.बी की वेबसाईट www. vyapam.nic.in एवं www.peb.mp.gov.in पर उपलब्ध होंगे।

प्लाटून कमांडर की चयन परीक्षा को निम्न लिखित तीन चरणो में संपन्न कराया जावेगा :–

1– प्रथम चरण : लिखित परीक्षा

2– द्वितीय चरण : शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा

3– तृतीय चरण : साक्षात्कार

इस चयन परीक्षा हेतु उम्मीदवारो द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को आवेदन पत्र एमपी ऑन लाईन (M.P Online) के माध्यम से भरे जाते है । आवेदन– पत्र भरते समय उम्मीदवारो के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण पी.ई.बी. अथवा अन्य किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है । अतः लिखित परीक्षा में उम्मीदवारो का प्रवेश तथा लिखित परीक्षा का परिणाम प्रावधिक (Provisional) होगा । लिखित परीक्षा में सफल होना किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है । लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिये बुलाये गये उम्मीदवारो का निम्नलिखित परीक्षण किया जावेगा :–

1– उम्मीदवार के समस्त मूल प्रमाण पत्रो का परीक्षण ।

2– उम्मीदवार की उॅचाई एवं सीने का माप ।

3– उम्मीदवार की नॉक–नी एवं फ्लैट फुट का परीक्षण ।

उपरोक्त तीनो परीक्षणो पर सफल होने पर उम्मीदवारों को शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा के पांच इवेन्ट में भाग लेने की पात्रता प्राप्त होगी ।

यदि उम्मीदवार उपरोक्त किसी भी चरण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो अगले चरण में भाग लेने की पात्रता नही होगी, भले ही वह लिखित परीक्षा में सफल रहा हो। यदि उम्मीदवार उपरोक्त तीनो परीक्षणों में योग्य पाया जाता है तथा शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा में निर्धारित अंक प्राप्त कर सफल होता है, तभी उसे साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा। उपरोक्त तीनो परीक्षणों में योग्य होने तथा शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा में निर्धारित अंक प्राप्त कर सफल हुये बिना उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होने की पात्रता नही होगी :–

1.9.1 प्रथम चरण – ऑनलाईन ¼fyf[kr½ परीक्षा :–

मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा ली जाने वाली ऑनलाईन ¼fyf[kr½ परीक्षा के प्रश्न पत्रों में विषय, समय, अवधि एवं अधिकतम अंक हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में निम्नानुसार होंगे :–

क्रमांक	प्रश्न पत्र	पद प्रकार जिसके लिये प्रश्न–पत्र लागू होंगे	अवधि	अधिकतम अंक
1	हिन्दी एवं अंग्रेजी में दक्षता एवं सामान्य ज्ञान	तकनीकी/अतकनीकी दोनो के लिये	03 घंटे	100 (70+30) 100

नोट (क) ऑनलाईन ¼fyf[kr½ परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को पी.ई.बी की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र के साथ साथ परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बॉल प्वाइंट पेन एवं फोटोयुक्त मूल पहचान–पत्र (इनमे से कोई एक–आधार कार्ड/मतदाता पहचान–पत्र/ड्राईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/पासपोर्ट/फोटोयुक्त बैंक पासबुक/शासकीय संस्था का फोटोयुक्त पहचान–पत्र) लेकर आना अनिवार्य होगा (जिसकी सुरक्षा का दायित्व स्वयं आवेदक का होगा), जिसके अभाव में आवेदक को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा।

(ख) आवेदक को ऑनलाईन ¼fyf[kr½ परीक्षा के लिये पी.ई.बी द्वारा जारी प्रवेश–पत्र तथा काला बॉल प्वाइंट पेन अपने साथ लाना होगा।

(ग) परीक्षा में किसी प्रकार के केलकुलेटर, मोबाईल आदि के उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(घ) नकल – ऑनलाईन ¼fyf[kr½ परीक्षा में जो उम्मीदवार अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुये अथवा नकल सामग्री के साथ पकड़ा जावेगा उसे तीन वर्षों के लिये प्लाटून कमाण्डर प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा तथा अन्य उचित वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

1.9.2 ऑनलाईन ¼fyf[kr½ परीक्षा की मेरिट सूची :–

प्रथम चरण की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट अनुसार, विज्ञापित रिक्त पदों के जाति वर्ग अनुसार 5 गुना संख्या में अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में – शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये बुलाया जायेगा। जाति वर्ग अनुसार 5 गुनी संख्या के अंतिम उम्मीदवार के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा का अवसर दिया जावेगा, भले ही कुल संख्या 5 गुना से अधिक हो जावे।

ऑनलाईन ¼fyf[kr½ परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों की सूची रोल नंबर क्रम में, पी.ई.बी द्वारा द्वितीय चरण की परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु होमगार्ड विभाग की चयन समिति को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसमें उम्मीदवारों के अंक नहीं दर्शाये जावेंगे ।

उम्मीदवारों को उनके ऑनलाईन ¼fyf[kr½ परीक्षा के परिणाम की जानकारी पी.ई.बी की वेबसाईट से मिल सकेगी । पी.ई.बी की वेबसाईट पर उम्मीदवार की परिणाम पर्ची उपलब्ध होगी जिसे डाउनलोड किया जा सकेगा। परिणाम पर्ची में उम्मीदवारों के अंक नहीं दर्शाये जावेंगे । विभाग से प्राप्त होने पर पी.ई.बी की वेबसाईट से डाउनलोड होने वाली परिणाम पर्ची के साथ ही उम्मीदवारों को उनके द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा/साक्षात्कार के लिए केन्द्र एवं तिथि एवं उनसे सम्बधित जानकारियां ज्ञात हो सकेंगी । उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना पत्र नहीं भेजा जावेगा ।

इस चयन परीक्षा हेतु उम्मीदवारो द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल को आवेदन पत्र एम.पी. ऑन–लाईन(M.P On-line) के माध्यम से भरे जाते है । आवेदन– पत्र भरते समय उम्मीदवारो के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण पी.ई.बी. अथवा अन्य किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है, । साथ ही ऑनलाईन ¼fyf[kr½ परीक्षा के पूर्व उम्मीदवारों का उंचाई तथा सीने की नाप जोख नहीं कराई जाती है ऐसी स्थिति में उंचाई तथा सीने की नाप हेतु निर्धारित अर्हताएं पूर्ण नहीं करने वाले उम्मीदवारों के सम्मिलित होने की

संभावना रहेगी। अतः ऑनलाईन ¼fyf[kr½ परीक्षा में उम्मीदवारो का प्रवेश तथा ¼fyf[kr½ परीक्षा का परिणाम प्रावधिक (Provisional) है । ऑनलाईन ¼fyf[kr½ परीक्षा में सफल होना किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है ।

1.9.3 द्वितीय चरण – शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट व साक्षात्कार :–

उम्मीदवारों को उनके लिखित परीक्षा के परिणाम की जानकारी पी.ई.बी की वेबसाईट से मिल सकेगी । पी.ई.बी की वेबसाईट पर उम्मीदवार की परिणाम पर्ची उपलब्ध होगी जिसे डाउनलोड किया जा सकेगा। परिणाम पर्ची में उम्मीदवारों के अंक नहीं दर्शाये जावेंगे । विभाग से प्राप्त होने पर पी.ई.बी. की वेबसाईट से डाउनलोड होने वाली परिणाम पर्ची के साथ ही उम्मीदवारों को उनके द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा/साक्षात्कार के लिए केन्द्र एवं तिथि एवं उनसे सम्बधित जानकारियां ज्ञात हो सकेंगी । उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना पत्र नहीं भेजा जावेगा ।

द्वितीय चरण के अंतर्गत शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट व साक्षात्कार की कार्यवाही राज्य शासन से गठित चयन समिति द्वारा होमगार्ड मुख्यालय स्तर पर आयोजित करायी जावेगी।

1.9.4 शारीरिक माप परीक्षण :–

शारीरिक माप मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में किसी भी विवाद की दशा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का विनिश्चय मान्य होगा। निर्धारित शारीरिक अर्हता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वतः निरस्त हो जायेगी।

1.9.5 शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट :

होमगार्ड विभाग द्वारा लिये जाने वाले शारीरिक प्रावीण्यता संबंधी विभिन्न टेस्ट व अधिकतम अंक निम्नानुसार होगेः–

स.क्र.	शारीरिक प्रवीण्यता टेस्ट	अधिकतम अंक
1	लम्बी कूद	20
2	ऊँची कूद	20
3	गोला फेंक	20
4	100 मीटर दौड़	20
5	1500 मीटर दौड	20

टेस्ट में प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिये विस्तृत अंक विभाजन मध्यप्रदेश नगर सेना तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम 2000 की अनुसूची 6 जो कि मध्यप्रदेश (असाधारण) राजपत्र दिनांक 30 अक्टूबर, 2000 एवं मध्यप्रदेश (असाधारण) राजपत्र दिनांक 24 जनवरी, 2013 में प्रकाशित हुई है, को देखें। यह अंक विभाजन सूची शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा के समय परीक्षा स्थल के पटल पर भी लगाई जावेगी। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवारों को शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा के पांचो ईवेन्ट अर्थात ' 1–100 मीटर दौड़, 2–1500 मीटर दौड़ 3–गोला फैक, 4–लम्बी कूद तथा 5–ऊँची कूद में शामिल होना अनिवार्य है। यदि कोई उम्मीदवार पांचों ईवेण्ट में भाग नही लेता है तो वह साक्षात्कार के लिये पात्र नही होगा।

नोटः–शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा हेतु उम्मीदवार को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकेगी । उक्त के लिये किसी प्रकार का चिकित्सीय प्रमाण पत्र स्वीकार नही किया जावेगा। उम्मीदवार का उनकी शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा के लिये चयन समिति द्वारा जो तिथि सूचित की गई है, उस तिथि में कोई परिवर्तन नही किया जावेगा।

1.9.6 साक्षात्कार :–

राज्य शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा लिया जायेगा, जिसका आयोजन होमगार्ड विभाग करेगा। साक्षात्कार हेतु अधिकतम 20 अंक होंगे।

1.9.7 बोनस अंक :–

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0सी0सी0) का ''सी'' प्रमाण पत्र धारण करने वाले या होमगार्ड संगठन के किसी पद पर होमगार्ड प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने वाले अभ्यर्थियों को 5 बोनस अंक प्रदान किये जावेगे।

1.10 चयन सूची :–

नोट :–द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा/साक्षात्कार की कार्यवाही राज्य शासन से गठित चयन समिति द्वारा होमगार्ड मुख्यालय स्तर पर आयोजित कराई जावेगी, जिसमें सफल उम्मीदवारों के प्राप्तांकों सहित सूची पी.ई.बी. को उपलब्ध कराई जायेगी। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात भर्ती के लिये अन्तिम गुणागुण सूची (मेरिट लिस्ट) ऑनलाईन ¼fyf[kr½ परीक्षा, शारीरिक प्रावीण्यता परीक्षा, साक्षात्कार और बोनस अंक में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर तैयार कर पी.ई.बी द्वारा चयन समिति को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके आधार पर चयन समिति उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची प्रकाशित करेगी। यदि किसी उम्मीदवार के पास कोई ऐसी योग्यता है जो चयन समिति की राय में किसी पद विशेष के लिये अत्यंत उपयोगी है तो चयन समिति महानिदेशक, होमगार्ड के अनुमोदन पश्चात् ऐसे उम्मीदवार की ऐसे पद पर चयन की सिफारिश करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

1.11 पारस्परिक वरीयता :–

समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता ऑनलाईन ¼fyf[kr½ परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी। ऑनलाईन ¼fyf[kr½ परीक्षा में भी अंक समान होने पर आयु में वरीयता के आधार पर आपसी सहवरिष्ठता निर्धारित की जावेगी। यह आवश्यक नहीं है कि अन्तिम CUT-OFF मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

1.12 प्रतीक्षा सूची :–

किसी भी संवर्ग या पद के लिये कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई जावेगी ।

1.13 नियुक्ति :–

चयनित उम्मीदवारों के संबंध में चरित्र सत्यापन कराया जायेगा तथा केवल 'अनुकूल' चरित्र पाये जाने वाले, चयन सूची में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों के विषय में ही नियुक्ति पर विचार किया जायेगा। उम्मीदवारों

का मेडिकल परीक्षण भी कराया जायेगा। नियुक्ति के लिये पात्रता हेतु उम्मीदवार का 'मेडिकली फिट' होना भी अनिवार्य है।

नोटः—समय की बचत एवं सुविधा के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षा में बैठने के योग्य घोषित किये गये सभी उम्मीदवारों को पूर्ववत सत्यापन फार्म भेजा जाता है, जो उम्मीदवारों को भरकर प्रस्तुत करना होता है, तथा इसमें से साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों का चरित्र एवं पूर्ववत सत्यापन करा लिया जाता है। जो उम्मीदवार चयनित नहीं होता है उसके फार्म का आगे उपयोग नहीं किया जाता है। उम्मीदवारों को चरित्र सत्यापन फार्म में पूरी एवं सही सही जानकारी भरना चाहिये, कोई झूठी जानकारी, अधूरी जानकारी, अर्धसत्य जानकारी नहीं देना चाहिये। कोई जानकारी छिपाना भी नहीं चाहिये। विशेष कर चरित्र सत्यापन फार्म के कालम नम्बर 12 में सही सही जानकारी भरना आवश्यक है। अब मध्यप्रदेश शासन के चरित्र सत्यापन संबंधी नए दिशा निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन के संबंध में इस आशय का शपथ पत्र देना आवश्यक है जिसमें आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उनके द्वारा उसके पूर्ववत के अन्तर्गत दिए गए विवरणों में उसने किसी तथ्य को जानबूझकर जानते हुये नहीं छिपाया है।

(1) नियुक्ति के उपरान्त प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा एवं निर्धारित प्रशिक्षण पर भेजा जावेगा।

(2) नियुक्ति के लिये चुने गये उम्मीदवारों को प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होने के लिये प्रयोजनार्थ की जाने वाली यात्रा का किराया तथा भत्ता नहीं दिया जायेगा। प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होने पर प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा जिसमें उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ होना आवश्यक होगा। केवल योग्य पाये उम्मीदवारों को ही नियुक्ति दी जावेगी, अयोग्य उम्मीदवारों को वापस भेज दिया जावेगा।

(3) जिस पद के लिये चयन किया जायेगा केवल उसी पद पर नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकेगा और उसी संवर्ग में आगे पदोन्नति/पदस्थापना की जावेगी।

(4) नियुक्ति अधिकारियों की अंतरिम आपसी सहवरिष्ठता परीक्षा के परिणाम के आधार पर निर्धारित की जावेगी। प्रशिक्षण के दौरान आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर मध्यप्रदेश होमगार्ड तृतीय श्रेणी कार्यपालिक सेवा भर्ती नियम, 2000 एवं संशोधित, 2013 के अनुसार उनकी आपसी सहवरिष्ठता निर्धारित की जावेगी।

(5) निर्धारित प्रशिक्षण से स्थायी या अस्थायी छूट का कोई प्रावधान नहीं है। प्रशिक्षण पर निर्धारित समय में उपस्थित न होने वाले चयनित उम्मीदवारों का नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा/नियुक्ति प्रस्ताव वापस ले लिया जावेगा। इस संबंध में मेडिकल प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा।

(6) चयनित उम्मीदवार को होमगार्ड विभाग की अन्य शाखाओं में राज्य के अन्दर व राज्य के बाहर पदस्थ किया जा सकेगा। राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में की जाने वाली पदस्थापना में उसकी सहमति की आवश्यकता नही है।

1.14 प्रशिक्षण :—

नियुक्ति उपरान्त निर्धारित अवधि में निर्धारित मानक स्तर से प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण सत्र प्रारम्भ होने की सूचना चयनित उम्मीदवारों को पृथक से भेजी जावेगी। चयनित अभ्यर्थियों को विहित की गई अंतिम तारीख को या उसके पूर्व जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर अथवा रूस्तमजी आर्म्ड पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, इंदौर तथा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मॅगेली, जबलपुर में प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होना होगा। यदि अभ्यर्थी, नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना निश्चित समयावधि में उपस्थित होने में असमर्थ रहता है, तो उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न शारीरिक तथा बौद्धिक प्रशिक्षण, अस्त्र—शस्त्र संचालन आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें किसी वजह से कोई क्षति होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। प्रशिक्षण में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के लिये एक अवसर प्रदान किया जावेगा। अभ्यर्थी जब तक सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं कर लेता तब तक उसे प्रशिक्षण संस्था में ही रखा जायेगा। उक्त दोनों अवसरों में प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं करने पर उसे एक माह का नोटिस देकर सेवा से मुक्त (बर्खास्त) कर दिया जायेगा।

1.15 प्रमाण—पत्रों एवं दस्तावेजों के परीक्षण के समय लाये जाने वाले प्रमाण—पत्र :—

आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ कोई भी दस्तावेज संलग्न नही करेंगे, परन्तु द्वितीय चरण में होमगार्ड विभाग द्वारा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज (डाक्यूमेन्ट) मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगाः–

(1) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इण्टरमीडियेट (10+2) की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हो।

(2) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र (डिग्री या सर्टिफिकेट)।

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग (गैर क्रीमीलयर) के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिये। प्रमाण–पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस विज्ञापन के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे है।

(4) यदि बोनस अंको हेतु दावा किया जा रहा है तो एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण पत्र या होमगार्ड संगठन के किसी पद पर होमगार्ड प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने का प्रमाण पत्र।

(5) भूतपूर्व सैनिकों के मामले में 'सेना' की सेवा का प्रमाण पत्र।

(6) होमगार्ड स्वयंसेवकों के प्रकरणों में आयु सीमा में छूट हेतु सम्बन्धित जिले के जिला सेनानी, होमगार्ड द्वारा जारी स्वयंसेवी होमगार्ड सैनिक की सेवा में होने का प्रमाण पत्र।

(7) पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिये नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(8) परित्यक्ता महिला के लिये लागू उच्चतम आयु सीमा की छूट प्राप्त करने हेतु महिला उम्मीदवारों को परित्यक्ता होने के प्रमाण के रूप में राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के स्तर का नही होगा, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विवाह के बाद महिला उम्मीदवार को उसके पति ने विधिक्त तलाक दिये बिना छोड दिया है तथा उक्त पति से महिला उम्मीदवार को कोई गुजारा भत्ता नही प्राप्त होता है।

(9) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारक उम्मीदवार को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये ग्रीन कार्ड।

(10) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरूस्कृत किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति/पत्नी उम्मीदवार को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये पुरूस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

(11) '' विक्रम पुरूस्कार'' प्राप्त उम्मीदवार को उच्चतर आयु सीमा मे छूट ''विक्रम पुरस्कार'' हेतु पुरस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

(12) विवाहित उम्मीदवार को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र।

नोटः– सत्यापन के समय समस्त प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों को मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य है। समस्त प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की एक प्रमाणित प्रतिलिपि चयन समिति के समक्ष जमा करना होगा अतः द्वितीय चरण की परीक्षा में उम्मीदवार प्रमाणित प्रतिलिपियों का एक सैट अपने साथ ले कर उपस्थित होंगे। अध्याय–3 में वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता है तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा

1.16 यात्रा किराया :–

मध्यप्रदेश शासन के प्रचिलित नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति होमगार्ड विभाग द्वारा की जायेगी।

1.17 सामान्य निर्देश :– यहां पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवारो को आयु , शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण के प्रावधानों, शारीरिक नापजोख, लिखित परीक्षा, शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा, साक्षात्कार, चरित्र सत्यापन तथा चिकित्सकीय परीक्षण, सभी में पूर्णतः योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

महानिदेशक,
होमगार्ड मध्यप्रदेश

अध्याय – 2

ikQs'kuy ,Xtkfeus'ku cksMZ] Hkksiky] ijh{kk lapkyu fu;e ,oa funsZ'k

[k.M&v

2-1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। vH;FkhZ 'kS{kf.kd vgZrkvksa dks HkyhHkkafr v/;;u mijkUr gh vkosnu i= HkjsaA

(ii) अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक विभाग/कार्यालय के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिंहित कर सकेगा। आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

(iii) vkosnd dks fofHkUu foHkkxksa ds inksa gsrq ,d gh vkosnu i= izLrqr djuk vfuok;Z gSA inksa dh la[;k esa vko';drkuqlkj deh ;k o`f) dh tk ldrh gSA

2-2 (i) <u>आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य रूप से होने चाहीये</u> ।

(ii) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा ।

(iv) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।

(v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

2-3 ijh{kk gkWy esa ys tkus gsrq vko';d lkexzh %&

(i) पी.ई.बी की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश–पत्र।

(ii) काला बॉलप्वाइंट पेन।

(ii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र – मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अंकसूची मय फोटोग्राफ, बैंक पासबुक मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य।

(iv) यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त के अलावा अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो वह कौन सा दस्तावेज है इसकी जानकारी अतिरिक्त सह–आई.डी. के रूप में प्रदान करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

2-4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

2-5 izos'k&i= izkIr djus dh izfØ;k %&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश–पत्र पी.ई.बी. की वेबसाईट **www.vyapam.nic.in** से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

ukV& प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर पी.ई.बी. ऑनलाईन आवेदन–पत्र को रद्द/निरस्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2-6 ijh{kk izos'k&i= **(Test Admit Card) :-**

(i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन–पत्रों के प्रवेश–पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाईट **www.vyapam.nic.in , www.peb.mp.gov.in** पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे।

(ii) पी.ई.बी. की वेबसाईट पर जारी किया गया टेस्ट एडमिट कार्ड दो–भागों में जारी किया जायेगा जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

(iii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

(iv) आवेदक यदि आवेदन पत्र में उल्लेखित अनुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ उपस्थित नहीं होता है तो उसे पी.ई.बी. के टेस्ट एडमिट कार्ड के द्वितीय भाग में पूर्व में प्रेषित ऑनलाईन आवेदन पत्र वाला फोटो लगाकर उसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नही होगी तथा इस प्रकार के अभ्यर्थियों को 'रासा'' में अनुपस्थित अंकित किया जायेगा।

(v) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि अंकित करना होगी। प्रवेश–पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2.7 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero)अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2-8 v- =qfViw.kZ iz'uksa ds fujLrhdj.k ,oa cnys esa fn;k x;k vad %&

परीक्षा उपरांत पी.ई.बी द्वारा विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :–

(i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।

(ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।

(iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।

(iv) कोई भी विकल्प सही न हो।

(v) यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।

(vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।

(vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।

(viii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

mnkgj.k 01 :– यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \text{ x } 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

mnkgj.k 02 :– यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \text{ x } 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

mnkgj.k 03 :– यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \text{ x } 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

ukV %& lHkh x.kuk dk n'keyo dk nks vadks rd dh tk;xh A

2.8 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजशन पद्धति :–

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प–1/11/22–2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित ऑनलाईन परीक्षाऐं, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा । जिसका सूत्र निम्नानुसार है:–

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session $\widehat{M}_{ij}$ is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_t^g - M_q^g}{\bar{M}_{ti} - M_{iq}} (M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where,

M_{ij} **is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}**

$\bar{M}_t^g$ **is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions**

M_q^g **is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions**

$\bar{M}_{ti}$ **is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session**

M_{iq} **is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session**

2.9 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :–

(i) प्रश्न–पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन उपरान्त एक सप्ताह के भीतर पी.ई.बी. कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

(ii) बिन्दु क्रमांक 2.8 अनुसार पी.ई.बी. द्वारा प्रश्न–पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ–साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम ''की'' (अन्तिम उत्तर) तैयार की जायेगी ।

(iii) अन्तिम उत्तरों के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

2.10 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

निम्नलिखित में से किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियाकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की संलिप्तता होने पर अथवा दोषी पाये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनुचित साधन (Unfair means)/यू. एफ.एम. (UFM) के अंतर्गत मान्य करते हुये समाप्त कर दी जायेगी ।

(i) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।

(ii) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

(iii) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

(iv) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।

(v) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।

(vi) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला–बदली करना।

(vii) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।

(viii) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

(ix) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

(x) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

(xi) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुॅचाना।

(xii) पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा।

(xiii) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा ।

(xiv) विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर पी.ई.बी को अवगत कराया जायेगा, ताकि पी.ई.बी स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

(xv) परीक्षार्थियों के विरूद्व परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जानें अथवा परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण में संलिप्ता पाये जाने पर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए संबंधित परीक्षार्थियों की अभ्यर्थिता पी.ई.बी. स्तर से समाप्त की जावेगी।

(xvi) उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो ।

2-11 ijh{kk ifj.kke dk idk'ku %&

(i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ–साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

(ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

(iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in, www.peb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

2-12 ijh{kk ifj.kke %&

(i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in, www.peb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणाम का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2-13 ikQ'kuy ,Xtkfeu'ku ckM] Hkkiky dk dk;l io'k@Hkrh@ik=rk ijh{kkvk dk lpkyu ,o ml dk ifj.kke ?kkf"kr djuk ek= gkxk %&

(i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा।

(ii) पी.ई.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं पी.ई.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

2-14 U;kf;d {k=kf/kdkj %& परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

[k.M&c

2-15 vkuykbu vkonu&i= d lkFk layXu fd;s tkus okys nLrkostk dk fooj.k %&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।

(ii) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र ik:i&07 अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी, दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़डा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(v) अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये इसकी अनिवार्यता नही होगी तथा अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह विकल्प आवेदन पत्र में प्रदर्शित नही किया जायेगा।

2-16 vkuykbu vkonu i= d lkFk QkVk ,o gLrk{kj layXu dju lc/kh funs'k%&

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र ik:i&07 अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।

(v) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(vi) फोटोग्राफ <u>vkonu Hkju dh frfFk</u> से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा <u>QkVkxkQ ij f[kpoku dh fnukd o vkond d uke dk Li"V mYys[k gkuk pkfg;A</u>

(vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(x) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

2-17 ,e-ih- vkuykbu fd;kLd d ek/;e l vkonu Qke Hkju dh fof/k %&

(i) एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा।

(ii) कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन–पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जावेगा।

(iii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।

(iv) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही–सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।

(v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन–पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2-18 vkuykbu vkonu Hkjus ds lca/k esa funs'k %

(i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण मीनू के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ii) igpku i= ds ehuw esa ernkrk igpku i=] iudkMZ] vk/kkj dkMZ] Mªk;fox ykbZlsal] vdkmaV uEcj ,oa vkbZMh izn'kZu djuk vko';d gksxk ¼,d ls vf/kd½ Li"V Nk;kfp= laxzg ,oa fu/kkZfjr izk:i esa vkosnu i= Hkjk tk;sxkA

(iii) यदि आवेदक द्वारा अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है rks og nLrkost dku lk gS bldh tkudkjh vfrfjDr lg&vkbZMh ds :i esa inku djuh gksxhA

(iv) vkond dk vkonu i= esa 'kjhj ds LFkk;h fpUg rFkk ijh{kk ds le; iLrqr fd;s tkus okys QksVks igpku i= dk fooj.k rFkk Øekad vfuok;Z :i ls vafdr fd;k tkuk gksxkA bude vHkko esa vkonu i= Lohdkj ugh gksxkA

(v) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(vi) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णाक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।

(vii) आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक पृथक से भी अंकित किये जाने का प्रावधान रखा जावेगा ।

2-19 vkuykbu vkonu&i= Hkjus dh 0;oLFkk %&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र एम.पी.आनलाईन की ocslkbV www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।

(ii) इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेविट (कोई भीवीजा/मास्टर/मास्टरो काई)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है।

(iii) सीधी भर्ती–बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियो द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नही होगा।

(iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन–पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन–पत्र क्रमांक का उपयोग कर पी.ई.बी की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश–पत्र प्राप्त किया जा सके।

2-20 vkuykbu vkonu&i= Hkjus gsrq nks fodYi gS %&

¼v½ bUVjusV dSQs }kjk ¼D;kLd½ ¼c½ Lo;a ds dEI;qVj }kjk

(i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत

Application क्लिक कर

Vyapam लिंक में परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी fun'k@**Instructions** तथा परीक्षा fu;e@**Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

(ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही–सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन–पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु स्पदा के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

(v) ऑनलाईन आवेदन–पत्र को Submit करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन–पत्र को जमा करें।

(vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन–पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :–

¼v½ ØfMV@MfcV dkM   ¼c½ bVjuV cfdx

2-21 ØfMV@MfcV dkM d ek/;e l i jh{kk 'kYd dk Hkxrku%&

(i) आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

(ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2-22 bVjuV cfdx d ek/;e l i jh{kk 'kYd dk Hkxrku %&

(i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

(ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2-23 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन–पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन–पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2-24 fu/kkfjr frfFk esa tek fd, x, vkuykbu vkosnu i= esa l'kks/ku dh O;oLFkk

(i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगीः–

(ii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

(iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन–पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

(iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

(v) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

(vi) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

(vii) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।

(viii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(ix) ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन–पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

(x) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2-25 ,d ls vf/kd vkuykbu vkosnu&i= Hkjus lca/kh funs'k %&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन–पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा ''हॉ'' विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन–पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन–पत्र ही मान्य होगा।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प ''हॉ'' का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई–मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन–पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।

(iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन–पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

2-26 vkWuykbZu vkosnu&i= dk fujLrhdj.k %&

(i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण पी.ई.बी स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(iii) इस संबंध में पी.ई.बी द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2-27 ऑनलाईन आवेदन–पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2-28 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2-29 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3–17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे।

2-30 iqu%x.kuk@iqueZY;kadu

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

[k.M&l

2-31 vkonu i= Hkjus dh le;kof/k

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
20.09.2016	19.10.2016	30	20.09.2016	24.10.2016	35

2-32 vkuykbu ijh{kk dk fooj.k

स. क्रं.	परीक्षा प्रश्नपत्र	दिनांक	दिन	अवधि	समय एवं पाली	अधिकतम अंक
1.	हिन्दी, अंग्रेजी में दक्षता एवं सामान्य ज्ञान	26.11.2016 27.11.2016	शनिवार रविवार	03 घंटे	प्रथम प्रातः 09:00 से 12:00 तक द्वितीय सायं 02:00 से 05:00 तक	200

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायक से काला करना होगा।

2-33 (i) ijh{kk 'kqYd %&

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क	सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये
01-	,d	500/-	250/-	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 70/- कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 40/-	निरंक

(ii) l'kks/ku fd;s tkus ij ns; 'kqYd

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01-	,d	100/-	50/-

2-34 ijh{kk 'kgj %&

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी । पी.ई.बी अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा आनलाईन पद्धति से आयोजित है अतः परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रो की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है ।

vkuykbu ijh{kk dsUnz		
1. भोपाल	2. ग्वालियर	3. इन्दौर
4. जबलपुर	5. उज्जैन	6. सागर
7. सीधी	8. सतना	

[k.M&n

vkuykbu ijh{kk i.kkyh d lc/k e funs'k

2-35

(i) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1:30 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।

(ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।

(iv) बोर्ड की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।

(v) बोर्ड कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

(vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्पों में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।

(vii) बोर्ड की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।

(viii)अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षाा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

(x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में प्रश्न पत्रों के स्तर का Normalisation करने का प्रावधान पी.ई.बी. के पास सुरक्षित रहेगा ।

(xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित /संशोधित किया जा सकता है ।

(xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।

(xiii)ई–आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट मूल आई डी के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा । अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी ।

(xii) परीक्षा में निर्धारित रिपोटिंग समय के 30 मिनिट पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

v/;k; & 3
fyf[kr ijh{kk dk ikB~;Øe

3.1 प्रश्न–पत्र – 01 **कुल अंक 200**

English (10+2 Level) **Marks: 30**

Functional Grammar

1- Tenses

2- Modals

3- Determiners

4- Articles

5- Voices

6- Narration

7- Prepositions

8- Clauses

An unseen passage with a variety of questions including marks for vocabulary such as word formation and inferring meaning.

The passages could be any of the following two types:-

(a) Factual passages- e.g. instructions, descriptions, reports.

(b) Discursive passages- involving opinion e.g. argumentative, persuasive.

पाठ्यक्रम हिन्दी (10+2 स्तर) **70 अंक**

भाषा बोध–

शब्द निर्माण– (उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास) पर आधारित प्रश्न

समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द पर आधारित प्रश्न

अनेकार्थी शब्द पर आधारित प्रश्न

विलोम शब्द पर आधारित प्रश्न

पयार्यवाची शब्द पर आधारित प्रश्न

वाक्यांश के लिए एक शब्द पर आधारित प्रश्न

भाव पल्लवन/भाव विस्तार पर आधारित प्रश्न

वाक्य – अशुद्धि संशोधन पर आधारित प्रश्न

वाक्य परिवर्तन पर आधारित प्रश्न

मुहावरे/लोकोक्तियॉ पर आधारित प्रश्न

समास विग्रह तथा समास के भेद पर प्रश्न

संक्षिप्तिकरण पर प्रश्न

भिन्नार्थक समोच्चरित शब्द पर प्रश्न

पारिभाषिक, तकनीकी शब्दों के प्रयोग पर प्रश्न

वाक्य भेद (रचना, अर्थ के आधार पर) वाक्य रूपान्तर पर प्रश्न

शब्द युग्म पर प्रश्न

बोली, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा पर प्रश्न

मुहावरे / लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग पर प्रश्न

काव्य बोध–

काव्य की परिभाषा – भेद, मुक्तक काव्य, प्रबन्ध काव्य

(महाकाव्य, खण्डकाव्य) पर प्रश्न

रस – परिभाषा, अंग, भेद और उदाहरण पर प्रश्न

अलंकार– वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति पर प्रश्न

छन्द– गीतिका, हरिगीतिका, उल्लाला, रोला पर प्रश्न

रस परिचय, अंग, रस भेद– उदाहरण सहित अलंकार

छंद, काव्य की परिभाषा एवं काव्य के भेद काव्य गुण

क्षेत्रीय बोली–पहेलियाँ,चुटकुले,लोकगीत, लोक कथाओं का परिचय तथा खड़ी बोली में उनका अनुवाद ।

म.प्र. से प्रकाशित होने वाली हिन्दी भाषा की पत्र पत्रिकाओं की जानकारी ।

अपठित बोध –

एक गद्यांश – शीर्षक सारांश एवं प्रश्न

एक पद्यांश – शीर्षक, सारांश एवं प्रश्न

अंक–100

सामान्य ज्ञान में वस्तुनिष्ठ प्रकार के मध्यप्रदेश राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य जानकारियों के अतिरिक्त गणित, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान विषय आधारित प्रश्नों के साथ जनरल एप्टीट्यूड, सामान्य बुद्धि गुणवत्ता के रीजनिंग संबंधी प्रश्न शामिल होंगे।

–––0–––

अध्याय–4

प्रमाण–पत्रों के प्रारूप

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये स्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार, जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हों तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किस एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें :–

1. जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा जिलाध्यक्ष द्वारा अधिकृत अन्य कोई अधिकारी।

स्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये –

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग...जिला...मध्य प्रदेश
पुस्तक क्रमांक......................................
प्रमाण पत्र क्रमांक...................................प्रकरण क्रमांक.................................

स्थायी जाति प्रमाण पत्र–नियम 8 (1)

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पिता/पति का नाम ....निवासी/ग्राम/नगर .... विकास खण्ड .... तहसील............................जिला..................................संभाग.. जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया हैं और यह .... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक....... पर अंकित हैं, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम ....अनुसूचित जाति/ जनजाति का/की हैं ।

2. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी...के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये.................................हैं।

दिनांक ....

हस्ताक्षर
(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम

प्रारूप–2

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये
अस्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अर्न्तगत अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हो तथा उनके पास जाति संबंधी स्थाई प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किसी एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें:–

1. संबंधित (राजस्व) अधिकारी/तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायव तहसीलदार।

अस्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये –

(अस्थायी प्रमाण पत्र) नियम 8 (2)
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग...जिला..मध्य प्रदेश
पुस्तक क्रमांक......................................
प्रमाण पत्र क्रमांक...................................प्रकरण क्रमांक.................................

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पिता/पति का नाम .. ..निवासी/ग्राम/नगर ....वि.ख. ....तहसील.... ....जिला....................................... संभाग...जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचि चत जनजाति के रुप मं` विनिर्दिष्ट किया गया हैं और यह .... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक. ....पर अंकित हैं, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम .... अनुसूचित जाति/ जनजाति का/की हैं ।

2. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी..के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये.....................................हैं।

दिनांक .... हस्ताक्षर
(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा।

<u>प्रारूप–3</u>

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप (स्थायी जाति प्रमाण पत्र) नियम 8(1) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला...मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक...................................
प्रमाण पत्र क्रमांक..प्रकरण क्रमांक...

जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री / श्रीमती / कुमारी..पिता / पति का.... .... नाम ....निवास / ग्राम / नगर .... वि.ख..................तहसील..................जिला.................. .... संभाग...मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो... जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5 / पच्चीस / 4 / 84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया हैं।
श्री / श्रीमती / कुमारी ....पिता / पति का नाम ....और / उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला ....संभाग....................................में निवास करता हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री / श्रीमती / कुमारी...क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों / वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग केपरिपत्र क्रमांक 360 / 2 / 22 / 93 / स्था(एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक–एफ–7–26 / 93 / 1 / आप्र. / दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई' की अनुसूची के कालम (3) मे किया गया हैं
3. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी ....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये...हैं।

दिनांक .... हस्ताक्षर
(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची।
प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया हैं जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास करता हैं।
जिलाध्यक्ष / अपर जिलाध्यक्ष / उप जिलाध्यक्ष / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) / जिलाध्यक्ष अथवा शासन द्वारा अन्य प्राधिकृत अधिकारी।

<u>**प्रारूप–4**</u>

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप (अस्थायी जाति प्रमाण पत्र) नियम 8(2) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग...जिला..मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक...............................प्रमाण पत्र क्रमांक..प्रकरण क्रमांक...

जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री / श्रीमती / कुमारी...पिता / पति का नाम ....निवास / ग्राम / नगर ....वि.ख.. तहसील................ ....जिला................................... संभाग..............................मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो......................... जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5 / पच्चीस / 4 / 84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया हैं। श्री / श्रीमती / कुमारी ....पिता / पति का नाम ....और / उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला ....संभाग में निवास करता हैं। यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री / श्रीमती / कुमारी..क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों / वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360 / 2 / 22 / 93 / स्था(एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक–एफ–7–26 / 93 / 1 / आप्र. / दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई' की अनुसूची के कालम (3) मे किया गया हैं

3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी ....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये...हैं।

दिनांक .... हस्ताक्षर
(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची। प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया हैं जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास करता हैं। संबंधित राजस्व अधिकारी / तहसीलदार / अतिरिक्त तहसीलदार / नायव तहसीलदार

यह प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेंगा।

नोट : वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता हैं तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा।

प्रारूप–5

(देखें नियम 2.8 एवं 2.09)

प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन

(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक पी.ई.बी. कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न–पत्र में निम्नलिखित प्रश्न/उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :–

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक/ उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर...............................

आवेदक का नाम.................................

स्थान ....

दिनांक ....

प्रारूप–6
(देखें नियम 2.8 एवं 2.09)

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन

(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक पी.ई.बी. कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
परीक्षा का दिनांक	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	
प्रश्न पत्र का कोड	
परीक्षा शिफ्ट	
परीक्षा का समय	
परीक्षा शहर का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	

पी.ई.बी की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक .... के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :–

स.क्र.	विषय	प्रश्न क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यार्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर..

आवेदक का नाम एवं पता.............................

....

....

दूरभाष क्रमांक..

दिनांक ....

Professional Examination Board
प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

4" x 5" सेमी फोटो
यहाँ चिपकाये
4" x 5" cm photo paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction)हस्ताक्षर / Signature)

- (i)अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, (ii) अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों e vFkok vxs th d y/k gLrk{kj ekU; ugh gksx A (iii) एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- (i) Do your full signature within box-2, (ii)signature in capital letter or Short signature is not allowed(iii) more than 1 signature will be invalid

निर्देश / Instruction)फोटो / Photo)

- फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए तथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photographandit should not old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वाराआवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर परझूठीया पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसारसंतोषजनकनहींपाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारीरद्दकी जा सकती हैं।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements, my candidature is liable to be cancelled.

स्व-घोषणा / Self-declaration

)ऊपर दिए गए घोषणा कोबॉक्स 3-के अंदरअपने लेखन में कॉपी करें/
Copy in your running hand writingin box-3, the declaration given above(

Box-3

ik : i&8

Hk|xrku ikIr dju d fy; Lo; d cid [kkr dk fooj.k

1. परीक्षा का नाम : ....
2. परीक्षा की तिथि / पॉली / समय : ....
3. परीक्षा केन्द्र का नाम : ....
4. परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में) : ....
(जैसा बैंक खाते में है)
5. परीक्षार्थी का नाम (अंग्रेजी में) : ....
6. परीक्षार्थी का रोल न. : ....
7. बैंक का नाम : ....
8. बैंक शाखा का नाम : ....
9. बैंक का IFS Code : ....
10. बैंक खाता क्रमांक : ....
11. परीक्षार्थी का गृह जिला : ....
12. गृह जिले से परीक्षा केन्द्र की दूरी : ....
13. यात्रा का प्रकार : ....
14. यात्रा व्यय की राशि : ....

दिनांक.....................................

हस्ताक्षर

निवास का पूर्ण पता

....

....